10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
Rs.5 INDIA FIVE RUPEES
5 रु. भारत पाँच
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs भारत INDI पाँच रुपये FIVE RUPE

58

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, भोपाल (म.प्र.)</u>

निग -3150-I-16 प्र.क्र. ------

श्री हरिओम आत्मज श्री दौलतराम,
जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम सुनखेर,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.) .... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959</u>

आवेदक न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, लटेरी, जिला विदिशा द्वारा अपील प्रकरण क्र. 3/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को इस आशय का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया ग्राम सुनखेर, प.ह.नं. 13, तहसील लटेरी में स्थित भूमि खसरा क्र. 224/1/2 रकबा 0.253 हेक्टेयर में से 0.036 हेक्टेयर भूमि पर मकान व वगाड़ लगाकर कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण किया। उक्त कारण बताओ सूचना–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आवेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया कि वर्ष 1972–73 में खसरा क्र. 424 रकबा 0.822 हेक्टेयर भूमि खलिहान की भूमि के रूप में दर्ज थी और इसी रूप में 1972–73 के अधिकार अभिलेख में यह भूमि निस्तार पत्रक के क्रम में अंकित है तथा तब से वर्ष 1997–98 तक यह भूमि इसी रूप में अंकित रही और इसी बीच पंजी क्र. 26 दिनांक 14.04.1995 के द्वारा खसरा क्रमांक 424 दो भागों में क्रमशः खसरा क्र. 424/1 रकबा 0.443 हेक्टेयर खलिहान की भूमि एवं खसरा क्र. 424/2 रकबा 0.379 हेक्टेयर आबादी की भूमि के रूप में श्रीमान कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्र. 129/अ–59/93–94 में पारित आदेश दिनांक 16.11.1994 के अनुसार नामांतरण पंजी क्र. 26 आदेश दिनांक 14.09.1995 द्वारा अंकित की गई और यह प्रविष्टि वर्ष 1995–96 के बाद 1997–98 तक निरन्तर दर्ज रही। किन्तु इसके उपरान्त बिना किसी आदेश के 1998–99 के खसरे में इस भूमि को जो 424/1 रकबा 0.443 हेक्टेयर खलिहान की भूमि को खसरा क्र. 424/1/1 रकबा 0.190 हेक्टेयर खलिहान तथा 424/1/2 रकबा 0.253 हेक्टेयर कब्रिस्तान के रूप में तथा 424/2 रकबा 0.379 हेक्टेयर आबादी के रूप में अंकित की गई है। जबकि निस्तार की भूमि के संबंध में विधि अनुसार कोई

R 3170-E/16 खिडिया
हरिओम / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/4/18	आवेदक अधि. श्री राजेश गिरी उप. उनके द्वारा बताया गया है कि अधी. न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई है अतः वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण समाप्त किया जावे। विचारोपरांत आवेदक अधि. के निवेदन पर यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। अभिलेख वापिस हो। यह प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (3) प्रशा. सदस्य	प्रकरण में उपस्थित ...